

होटल प्रबंध खान-पान प्रौद्योगिकी एवं अनुप्रयुक्त पोषाहार संस्थान, हाजीपूर

आई.एच.एम:नोटिस:(14.2)/2017-2843

दिनांक:- 07/12/2017

सूचना

संस्थान के सभी NPS (New Pension Scheme) खाता धारी सहकर्मियों को सूचित किया जाता है कि NPS TRUST के निर्देशानुसार सभी NPS Subscriber को FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) से संबंधित Self Certificate Submit करना अनिवार्य कर दिया गया है। अतः आप सभी को निर्देश दिया जाता है कि उपरोक्त से संबंधित Certificate स्वयं ऑनलाईन नीचे दिये गये लिंक के माध्यम से कर सकते है या संस्थान के लेखा विभाग में संबंधित Form भर कर करवा सकते है। Self Certificate नहीं submit करने पर Withdrawal, Voluntary Contribution एवं Tier-II Contribution पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है।

- ① <https://cra-nsdl.com/CRA/>>>Login in Subscriber
- ② Fill up User Id (PRAN number) & Your Password
- ③ Transaction>>FATCA Self Certification

सीतेरा श्रीशेट्टे
07/12/17
प्राचार्य

प्रतिलिपि:-स्टाफ नोटिस बोर्ड, लेखा विभाग, नोटिस फाईल, वेबसाईट

2